

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़



सी.यू.जी. - 9454400250,

दूरभाष- 05462-260403,

ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 314/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 31.08.2025

हेमराज मीना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 31.08.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यावाहियां की गयी-

01.थाना- रानी की सराय: किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण (संक्षेप में)-

अवगत कराना है कि दिनांक 19.8.25 आवेदिका थाना रानी की सराय आजमगढ़ ने थाना रानी की सराय पर लिखित तहरीर दी कि वादिनी की पुत्री उम्र 14 वर्ष बहोरगंज चौराहा से कही चली गयी है, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 257/25 धारा 137(2)बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया है। विवेचना के दौरान पीडिता उपरोक्त को दिनांक 25.08.2025 को बरामद किया गया तथा पीडिता उपरोक्त का धारा 180 व 183 बी0एन0एस0एस0 से धारा 137(2)/3(5)/64(1) बीएनएस 3/4 पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी किया गया तथा अभियुक्तगण 1.शेखर पुत्र नैकरन निवासी खण्डवारी थाना सरायमीर आजमगढ़ 2. उमंग पुत्र सुबेदार निवासी मोलनापुर माफी थाना रानी की सराय आजमगढ़ 3. प्रिन्स पुत्र अज्ञात पता अज्ञात का नाम प्रकाश में आया। मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त उमंग पुत्र सुबेदार निवासी मोलनापुर माफी थाना रानी की सराय आजमगढ़ को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय किया जा रहा है।

गिरफ्तारी की विवरण-

दिनांक- 31.08.2025 को व0उ0नि0 सुशील कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त उमंग पुत्र सुबेदार निवासी मोलनापुर माफी थाना रानी की सराय आजमगढ़ को रुदरी मोड (रानी की सराय) से समय करीब 12.10 बजे कस्वा रानी की सराय से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 257/2025 धारा 137(2)/3(5)/64(1) बीएनएस 3/4 पाक्सो एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्त—

1-उमंग पुत्र सुबेदार निवासी मोलनापुर माफी थाना रानी की सराय आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

(1) उ0नि0 सुशील कुमार थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़

(2) का0 प्रदीप कुमार थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ़



02. थाना रौनापार: अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार ।

गिरफ्तारी का विवरण –

दिनांक-31.08.2025 को उ0नि0 प्रशान्त पाण्डेय मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान ग्राम चालाकपुर से अभियुक्त राहुल पुत्र गिरीश निवासी ग्राम चालाकपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ को एक अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया तथा कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय करीब 02.20am बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 328/25 धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम राहुल पुत्र गिरीश निवासी ग्राम चालाकपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष के पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को माननीय न्यायालय भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 328/25 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

1- राहुल पुत्र गिरीश निवासी ग्राम चालाकपुर थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

बरामदगी-

1-01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस अभियुक्त के पास से बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 प्रशान्त पाण्डेय थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
2. का0मो0 जावेद थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
3. का0 अमन सिंह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़
4. का0 आनन्द कुमार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़



03.थाना – सरायमीर: UPI के माध्यम से गलती से दूसरे के खाते ट्रांसफर हुए 20,000 रुपये वापस कराया गया

पूर्व की घटना:-

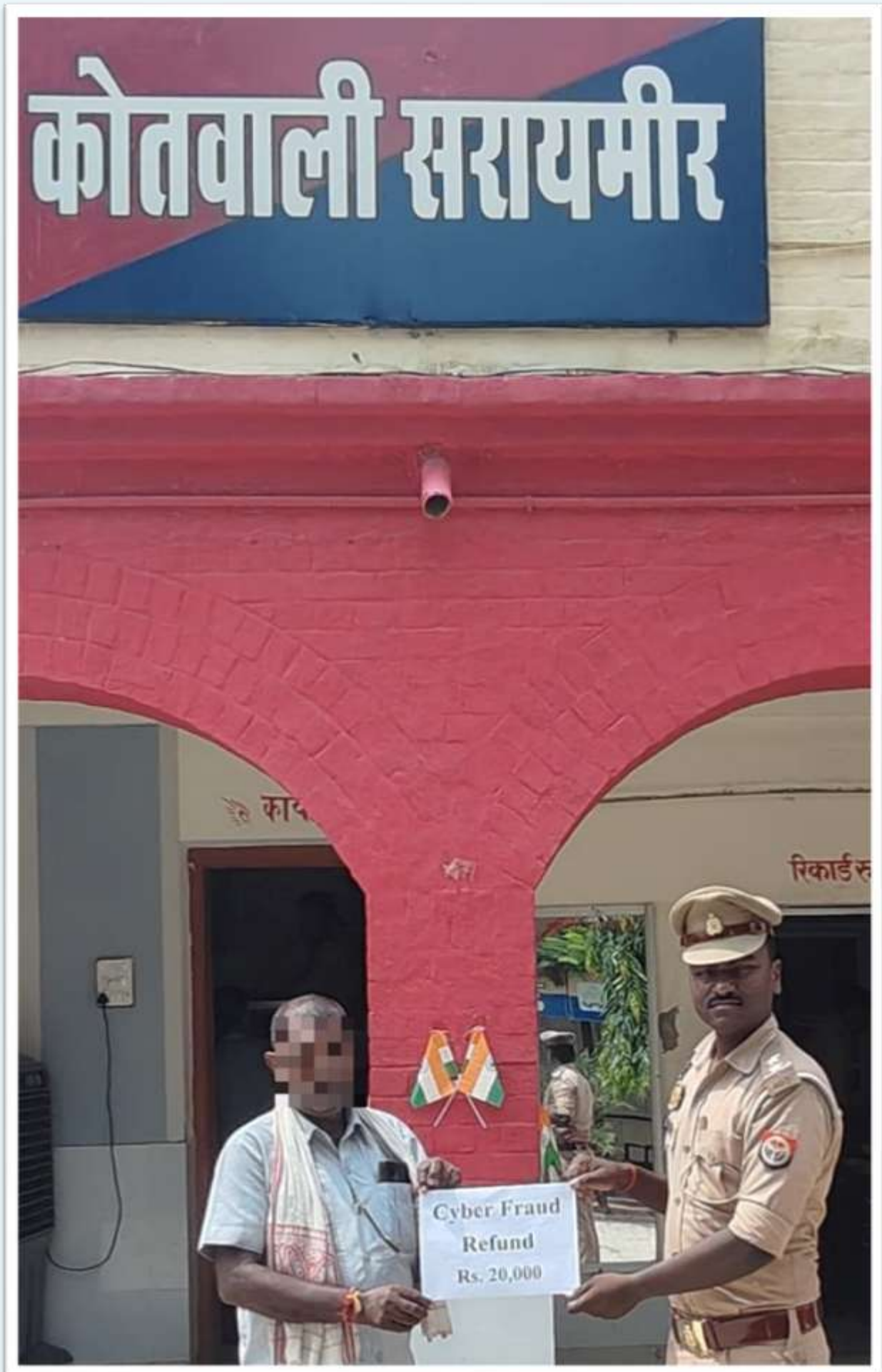
दिनांक 18.06.2025 को आवेदक सल्पनाथ पुत्र रमई निवासी ग्राम पुरन्दरपुर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ द्वारा UPI के माध्यम से गलती से दूसरे के खाते में 20,000 रुपये भेज दिया गया। विपक्षी से वार्ता करने पर पैसे देने से इंकार कर दिया गया। उक्त के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा थाना स्थानीय पर सूचित किया गया व साइबर पोर्टल पर शिकायत सं0

231062500XXXXX पंजीकृत करायी गयी। उक्त साइबर पोर्टल पर शिकायत से विपक्षी के खाते में 20,000 रु0 होल्ड हो गये हैं।

उक्त शिकायत पर विधिक कार्यवाही कराते हुये साईबर हेल्पडेस्क कम्प्यूटर ऑपरेटर सौरभ थाना सरायमीर आजमगढ़ द्वारा 20,000 रुपये आवेदक के खाते में दिनांक 30.08.2025 को वापस करा दिया गया।

पुलिस टीम:-

1. कम्प्यूटर ऑपरेटर सौरभ थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।



04.थाना निजामाबाद: चोरी के सामान के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण –

अवगत कराना है कि दिनांक 18.08.25 को मुकदमा वादिनी रानीपुर प्रा0 विद्यालय की प्रधानाध्यापिका दिल अफरोज पत्नी शाह मुअज्जम निवासी एलवल थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ जब प्रातः 7.30 बजे विद्यालय पहुँची तो रसोई घर में रखा हुआ सिलेन्डर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया था। जिसके सम्बन्ध में दिनांक 06.08.25 को मु0अ0स0 283/25 धारा 305A BNS बनाम अज्ञात चोर के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था। जांच व विवेचना हेतु उ0नि0 दिलीप आनन्द को प्रदान किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण –

आज दिनांक 31.08.25 उ0नि0प्रशिक्षु दिलीप आनन्द मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्त राजेश यादव पुत्र फौजदार यादव निवास जमीनकटघर थाना निजामाबाद आजमगढ़ को चोरी के सामान 01 अदद इण्डेड गैस सिलेण्डर के साथ मोलनापुर गिट्टी बालू के दुकान के पास से समय 05.05 बजे हिरासत में लिया गया तथा बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(4),317(2) बीएनएस की बढोत्तरी की जायेगी। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय/जेल भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 283/25 धारा 305A,317(4),317(2) BNS थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- राजेश यादव पुत्र फौजदार यादव निवास जमीनकटघर थाना निजामाबाद आजमगढ़

बरामदगी- एक अदद इण्डेड गैस सिलेण्डर

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 283/2025 धारा 305A,317(4),317(2) BNS थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

2.मु0अ0सं0 332/2022 धारा 380, 411, 454 IPC थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

3. मु0अ0सं0 416/2022 धारा 3,7,25 आर्म्स एक्ट थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0प्रशिक्षु दिलीप आनन्द 2. हे0का0 मनोज सोनकर 3. का0 मुकेश विश्वकर्मा निजामाबाद, आजमगढ़



05.थाना निजामाबाद: मोबाइल छिनैती करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण –

अवगत कराना है कि दिनांक 23.08.2025 को वादी मुकदमा प्रमोद यादव पुत्र नन्दू यादव निवास बैसर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ अपने बहन के घर ग्राम परवेजाबाद से रात्रि करीब 9.30 बजे मोटर साइकिल से अपने घर वापस आ रहा था कि परवेजाबाद मोड के पास पीछे से दो लोग आकर झपट्टा मारकर मोबाईल लेकर भाग गये। वादी के प्रार्थना पत्र के आधार दिनांक 30.08.25 को थाना निजामाबाद पर मु0अ0सं0 298/25 धारा 304 (2) BNS बनाम 1. अभिषेक यादव पुत्र रविन्द्र यादव उर्फ हमीद 2. मंगेश यादव पुत्र महेन्द्र यादव निवासी गण परवेजाबाद थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही हेतु उ0नि0प्र0 दिलीप आनन्द को प्राप्त हुआ।

गिरफ्तारी का विवरण –

दिनांक 30.08.25 उ0नि0 दिलीप आनन्द मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बंधित अभियुक्त अभिषेक यादव पुत्र रविन्द्र यादव निवासी परवेजाबाद थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष को छिनैती का Vivo T-3 Lite मोबाइल के साथ असनी पुलिया के कुछ दूर आगे दत्तात्रेय रोड मोड के पास से समय 18.35 बजे पुलिस हिरासत लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार मा0 न्यायालय/जेल भेजा गया।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु0अ0सं0 298/25 धारा 304 (2), 317(2) BNS थाना निजामाबाद, आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त –

1-अभिषेक यादव पुत्र रविन्द्र यादव निवासी परवेजाबाद थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष
बरामदगी-

1-छिनैती का Vivo T-3 Lite मोबाइल

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ0नि0 दिलीप आनन्द 2. का0 अमित यादव, 3. का0 धर्मवीर प्रजापति थाना निजामाबाद, आजमगढ़



06.थाना- अहरौला: किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार ।

पूर्व की घटना का विवरण-

अवगत कराना है कि दिनांक 26.8.25 को वादी मुकदमा थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि प्रतिवादी अनिल चौहान पुत्र लक्ष्मिन चौहान निवासी इशहाकपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष द्वारा वादी की पुत्री के साथ शारीरिक दुष्कर्म किया गया, के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 308/2025 धारा-65(2) बी.एन.एस. व 5m/6 पाक्सो एक्ट पंजीकृत कर विवेचना थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार थाना अहरौला आजमगढ़ द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 31.8.25 को थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह थाना अहरौला मय हमराह के द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त अनिल चौहान पुत्र लक्ष्मिन चौहान निवासी इशहाकपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष को मडना तिराहा पुलिस के पास से समय 13.30 बजे गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- अनिल चौहान पुत्र लक्ष्मिन चौहान निवासी इशहाकपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष

पंजीकृत अभियोग

1-मु0अ0स0 308/2025 धारा 65(2)/ 351(3) बी0एन0एस0 व 5m/6 पाक्सो एक्ट थाना अहरौला जनपद

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार थाना अहरौला आजमगढ़

का0 आदर्श शाह थाना अहरौला आजमगढ़

का0 प्रदीप कुमार थाना अहरौला जनपद आजमगढ़

म0का0 बंदना सिंह थाना अहरौला जनपद आजमगढ़



07.थाना – कोतवाली: आनलाइन जॉब के नाम पर साइबर फ्राड के 18,090 रूपयें आवेदक के खातें में वापस कराया गया।

पूर्व की घटना:-

आवेदिका फिरदौस मिर्जा निवासी मुकेरीगंज थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ के साथ आनलाइन फ्रीलांसर जॉब करने के नाम पर 30,000 रूपये का साइबर फ्राड हुआ था जिसके सम्बन्ध में आवेदिका द्वारा NCRP पोर्टल पर Complain No. 33105250052874 पंजीकृत किया गया था। NCRP Complain No. 331052500XXXX के आधार पर आवेदिका उपरोक्त का 23,682 रूपये होल्ड कराया गया था। उक्त शिकायत पर विधिक कार्यवाही करते हुये मा0 न्यायालय से कोर्ट आर्डर बनवाकर आवेदिका का 18090 रूपये बैंक द्वारा वापस कराया गया।

➡ आवेदिका फिरदौस मिर्जा उपरोक्त के साइबर कम्प्लेन के जांच के क्रम में आज दिनांक 31.08.2025 को आवेदिका के खाते में कुल 18090 रूपये वापस कराया गया।

पुलिस टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक यादवेन्द्र पाण्डेय थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।
2. निरीक्षक अपराध रफी आलम थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।
3. उ0नि0 रवि प्रकाश गौतम थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।
4. म0आ0 उमा वर्मा थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।
5. का0 दमन पाण्डेय थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।



08.थाना – कप्तानगंज: गलती से दूसरे नंबर पर भेजे गये 5500 रुपये वापस कराया गया

पूर्व की घटना:-

आवेदिका रूपेन्द्र पटेल पुत्र विक्रम वर्मा निवासी ग्राम मदपट्टी थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा दिनांक 22.08.25 को गलती से दूसरे फोन पे नम्बर पर 5500 रुपये भेज दिया गया था। जिसके सम्बन्ध में आवेदक द्वारा NCRP पोर्टल पर Complain No. 33108250101177 पंजीकृत किया गया था। NCRP Complain No. 33108250101177 के आधार पर जिस खाते में पैसे गये उसका पता किया गया तो हरदोई निवासी सरोज कुमार अवस्थी का था जिससे थाना स्थानीय के साइबर सेल टीम द्वारा वार्ता कर आवेदक उपरोक्त का 5500 रुपये वापस कराया गया।

➡ आवेदक रूपेन्द्र पटेल उपरोक्त के साइबर कम्प्लेन के जांच के क्रम में आवेदक के खाते में कुल 5500 रुपये वापस कराया गया।

पुलिस टीम:-

थानाध्यक्ष देवेन्द्र नाथ दूबे थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।

उनि० प्रिन्स मिश्रा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।

का० विकास पटेल थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।

का० सौरभ सिंह थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़।

